उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-40/2016/वे0आ0-2-993/दस-69(सामान्य)/2010

लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 2016

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि " वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ" में वरिष्ठ परामर्शदाता वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- के पद पर श्री राम आसरे द्विवेदी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह के लिये निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :---

(1) श्री राम आसरे द्विवदी को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री राम आसरे द्विवेदी को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अंतिम आहरित मूल वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आंकलित हो तथा श्री राम आसरे द्विवेदी के देय मंहगाई भत्ता अंतिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3) श्री राम आसरे द्विवेदी को पुनर्नियुक्ति की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम-197ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश् का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति कर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री राम आसरे द्विवेदी को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके अंतिम आहरित वेतन के ग्रेड वेतन के अन्तर्गत अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) पुनर्नियुक्ति की अवधि में श्री राम आसरे द्विवेदी को पेंशन पर मंहगाई भत्ता राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

(7) श्री राम आसरे द्विवेदी, वरिष्ठ परामर्शदाता को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी, जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-40/2016/वे0आ0-2-993(1)/दस-69(सामान्य)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर :--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) सचिव, कार्मिक अनुभाग-1
(5) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(7) सम्बन्धित अधिकारी।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका ।
(9) राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in